राजस्थान सरकार
उच्च शिक्षा (ग्रुप–3) विभाग

ई–मेल : higheredu3@rajasthan.gov.in, दूरभाष : 0141–5153222, 5153223, 5153660 (आई.पी. नं. : 24870)

क्रमांक प. 6(29)शिक्षा/ग्रुप–3/2024–04255 जयपुर, दिनांकः–हस्ताक्षर दिनांक

–: आदेश :–

परिवर्तित बजट घोषणा वर्ष 2024–25 दिनांक 10.07.2024 के बिन्दु संख्या–59.4 की अनुपालना में निम्नांकित 10 महाविद्यालयों को स्नातक (UG) से स्नातकोत्तर (PG) स्तर में क्रमोन्नत करते हुए, उनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार नवीन विषय खोले जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अध्यधीन एतद्द्वारा प्रदान की जाती हैः–

क्रं.स.	महाविद्यालय का नाम	स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन विषय	पद का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	बजट मद
1	राजकीय महाविद्यालय, आहोर	इतिहास	सहायक आचार्य (इतिहास)	02	बजट मद– 2202– सामान्य शिक्षा 03–विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 103–राजकीय महाविद्यालय तथा संस्थान 02–राजकीय महाविद्यालय (पुरूषों के लिए) राज्य निधि
2	राजकीय महाविद्यालय, डेगाना	भूगोल	सहायक आचार्य(भूगोल)	02	
			प्रयोगशाला सहायक	01	
			प्रयोगशाला वाहक	01	
3	राजकीय महाविद्यालय, कोटड़ा	हिन्दी साहित्य	सहायक आचार्य (हिन्दी साहित्य)	02	
4	राजकीय महाविद्यालय, सिकराय	इतिहास	सहायक आचार्य (इतिहास)	02	
5	राजकीय कन्या महाविद्यालय, सूरसागर (राजसेस)	राजनीति विज्ञान	सहायक आचार्य (राजनीति विज्ञान)	02	बजट मद– 2202– सामान्य शिक्षा 03–विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 103–राजकीय महाविद्यालय तथा संस्थान 03– राजकीय महाविद्यालय (स्त्रियों के लिए) राज्य निधि
6	राजकीय महाविद्यालय, दूदू	हिन्दी साहित्य, रसायनशास्त्र, राजनीति विज्ञान	सहायक आचार्य (हिन्दी साहित्य–2, रसायनशास्त्र–2, राजनीति विज्ञान–2)	06	बजट मद– 2202– सामान्य शिक्षा 03–विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 103–राजकीय महाविद्यालय तथा संस्थान 02–राजकीय महाविद्यालय (पुरूषों के लिए) राज्य निधि
			प्रयोगशाला सहायक	01	
			प्रयोगशाला वाहक	01	
7	राजकीय महाविद्यालय, लूणकरणसर	राजनीति विज्ञान	सहायक आचार्य (राजनीति विज्ञान)	02	
8	श्री हीरालाल देवपुरा राजकीय महाविद्यालय, आमेट	राजनीति विज्ञान	सहायक आचार्य (राजनीति विज्ञान)	02	
9	शहीद हेमराज मीणा राजकीय महाविद्यालय, सांगोद	राजनीति विज्ञान	सहायक आचार्य (राजनीति विज्ञान)	02	
10	राजकीय महाविद्यालय, चौहटन	भूगोल	सहायक आचार्य(भूगोल)	02	
			प्रयोगशाला सहायक	01	
			प्रयोगशाला वाहक	01	
				30	

Signature valid
Digitally signed by Haritabh Kumar Aditya
Designation : Deputy Secretary
Date: 2024.09.23 14:24:45 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 10581510

1. उपर्युक्तानुसार महाविद्यालयों में नवीन विषय प्रारम्भ करने हेतु 24 सहायक आचार्य, 03 प्रयोगशाला सहायक व 03 प्रयोगशाला वाहक सहित कुल 30 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त पद वित्त विभाग की आई.डी. सं. 102101918 दिनांक 21.05.2021 में प्रदान किये गये परामर्श अनुसार गठित राजसेस सोसाइटी के अधीन रहेंगें।
2. सोसाइटी के तहत कार्मिकों की उपलब्धता होने तक नवीन महाविद्यालयों में विद्या संबल मॉडल पर विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गेस्ट फेकल्टी के रूप में/विद्यमान नियमित कार्मिकों को आवश्यकतानुसार लगाया जा सकेगा।
3. अतिरिक्त बजट प्रावधान के प्रस्ताव (प्रयोगशाला कक्ष के अतिरिक्त) के संबंध में आयुक्तालय वित्तीय वर्ष 2024–25 में उपलब्ध बजट प्रावधान का उपयोग करने एवं आवश्यकतानुसार वांछित प्रस्ताव यथा समय प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करावें।
4. नवीन प्रयोगशाला कक्ष के निर्माण के प्रस्ताव के संबंध में आयुक्तालय राजकीय महाविद्यालय में विद्यमान भवन/कक्ष को दृष्टिगत रखकर प्रस्ताव का पुनः परीक्षण करते हुए मय तकमीना औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय–1) विभाग की आई.डी. संख्या 152401927 दिनांक 18.09.2024 से प्राप्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(हरिताभ कुमार आदित्य)
शासन उप सचिव प्रथम

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. महालेखाकार लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय, उच्च शिक्षा विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग।
5. संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय–1) विभाग।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग।
7. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (जनशक्ति) विभाग।
8. संयुक्त सचिव, शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग।
9. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
10. सम्बन्धित कुल सचिव, विश्वविद्यालय, राजस्थान द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. लेखाधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
12. मुख्य लेखाधिकारी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
13. सम्बन्धित राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14. रक्षित पत्रावली।

Signature valid

Digitally signed by Haritabh Kumar Aditya
Designation : Deputy Secretary
Date: 2024.09.23 14:24:45 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 10581510

राजस्थान सरकार

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राज. जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http//hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/ e-mail: jdplan.cce@gmail.com Phone : 0141-2706847 (o)

क्रमांक: एफ 6(7) आयो/आकाशि/बजट घोषणा/2024-17399

विषय:- परिवर्तित बजट वर्ष 2024-25 में की गयी घोषणा दिनांक 16 जुलाई 2024 के बिन्दु संख्या 59.04 की अनुपालना में 10 राजकीय महाविद्यालयों को स्नातक से स्नातकोत्तर स्तर पर क्रमोन्नत किये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

संदर्भ:- शासन उप सचिव-प्रथम का पत्रांक प.6(29)शिक्षा/ग्रुप-3/2024-04255 दिनांक 23.09.2024

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ:

1 संयुक्त सचिव, कार्यालय, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, कार्यालय, माननीय उपमुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, कार्यालय, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. सयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. शासन उप सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग राजस्थान, जयपुर।
7. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1 कुल सचिव, संबंधित विश्वविद्यालय को भेजकर लेख है कि स्वीकृतिनुसार राजकीय महाविद्यालयों में क्रमोन्नत किये गये विषय को सम्बद्ता प्रदान करने का श्रम करें।
2 संयुक्त निदेशक, राजसेस कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर को भेजकर लेख है कि स्वीकृतिनुसार राजकीय महाविद्यालयों में क्रमोन्नत किये गये विषय में आगामी सभी आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
3 संयुक्त निदेशक, अकादमिक कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर को भेजकर लेख है स्वीकृतिनुसार राजकीय महाविद्यालयों में क्रमोन्नत किये गये विषय में प्रवेश संबंधी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
4 संयुक्त निदेशक, एचआरडी आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को भेजकर लेख है कि स्वीकृतिनुसार राजकीय महाविद्यालयों में क्रमोन्नत किये गये विषय में संकाय सदस्य/गेस्ट फैकल्टी लगवाये जाने की कार्यवाही करें।
5 संयुक्त निदेशक, प्रशासन आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को भेजकर लेख है कि स्वीकृतिनुसार राजकीय महाविद्यालयों को क्रमोन्नत किये जाने के संबंध में सीएमआईएस पर अद्यतन व अन्य आवश्यक कार्यवाही करें।
6 प्राचार्य, संबंधित राजकीय महाविद्यालय को भेजकर लेख है कि स्वीकृतिनुसार क्रमोन्नत किये गये विषय की संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता, प्रवेश व अन्य आवश्यक कार्यवाही करे।
7 वेबसाईट प्रभारी, कॉलेज शिक्षा, राज. जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ करने बाबत।
8 रक्षित पत्रावली।

(डॉ. विजेन्द्र कुमार शर्मा)
संयुक्त निदेशक (आयोजना)
कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

Signature valid

Digitally signed by Vijendra Kumar Sharma
Designation : Joint Director
Date: 2024.09.23 17:59:52 IST
Reason: Approved

This document was created with the Win2PDF “Print to PDF” printer available at

https://www.win2pdf.com

This version of Win2PDF 10 is for evaluation and non-commercial use only.
Visit https://www.win2pdf.com/trial/ for a 30 day trial license.

This page will not be added after purchasing Win2PDF.

https://www.win2pdf.com/purchase/